न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 03/2021

आदेश दिनांक– 06.10.2022

1. सुमन देवी पत्नी सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासीनी डी.–20 बसन्त विहार कॉलोनी सीकर जिला सीकर राजस्थान

..................वादीनी

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. नत्थूसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. प्रहलादसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. भवानीसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
5. सोनूसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
6. भागीरथसिंह पुत्र स्व. बजरंगसिह जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
7. रामसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

..................प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. उपस्थित वादीनी व वादीगण वकील श्री हरीशचन्द्र पारीक एड.
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर श्री रतनलाल साध वकील उपस्थित।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़

निर्णय

इस दावा का न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 05.05.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि रोही ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा न0 256 तादादी 0.2276 हैक्टेयर सम्पूर्ण व हाल खसरा संख्या 270 तादादी 4.5522 हैक्टेयर में से उतरादे पासे की 7 बीधा 2 बिश्वा यानि 1.7956 हैक्टयेर यानि 1.7956 हैक्टेयर कुल रकबा 2.0232 हैक्टेयर का हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार कर वादीनी के हिस्सा, कब्जा व मौका के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर आपति चाही गई वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति न होना जाहिर किया एवं अपनी बहस में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादीनी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील वादीनी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति जाहिर की है। इसलिए न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः दावा वादीनी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है –

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. में)
01.	सुमनदेवी पत्नी सांवरमल जाति ब्राह्मण हिस्सा पूर्ण निवासी बसन्त विहार सीकर खातेदार (वादीनी)	256 270 मिन किता–2	0.2276 1.7956 कुल– 2.0232
02.	1) गजेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 572/5725 जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा खातेदार 2) नत्थूसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 572/5725 जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा खातेदार 3) प्रहलादसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 572/5725 जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा खातेदार 4) भवानीसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 572/5725 जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा खातेदार 5) भागीरथसिंह पुत्र बजरंगसिंह हि. 2540/5725 जाति राजपूत राहिन हि. 2540/5725 PNB शाखा जुलियासर जिला सीकर 6) रामसिंह पुत्र बलदेवसिंह हि. 325/5725 जाति जाट निवासी सूतोद खातेदार 7) सोनूसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 572/5725 जाति राजपूत निवासी खारिया बड़ा खातेदार	270 मिन 295 किता–2	2.7566 0.1390 कुल–2.8956

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़